झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (सिविल) संख्या 454/2023

नंद राम, उम्र लगभग 72 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय दिल बहादुर छेत्री, निवासी- चुटिया, डाकघर और थाना - चुटिया, जिला-रांची, पिन-834001

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ के माध्यम से महाप्रबंधक,दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच, डाकघर और थाना- गार्डन रीच, कोलकाता-43

2. मुख्य कार्मिक अधिकारी (कंस्ट.) दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच, डाकघर और थाना- गार्डन रीच, कोलकाता-43

3. मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर (कंस्ट.) दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच, डाकघर और थाना- गार्डन रीच, कोलकाता-43

4. उप मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर (कंस्ट.) दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा डिवीजन, डाकघर और थाना- , आद्रा, पश्चिम बंगाल, पिन- 723121

5. उप मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर (कॉन्स्ट.) दक्षिण पूर्व रेलवे, डाकघर और थाना-हटिया , जिला-रांची, पिन-834003

.... प्रतिवादीगण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के लिएः श्रीमती एम.एम. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्रीमती रश्मि मेहता, अधिवक्ता,

श्रीमती महुआ पालित,अधिवक्ता

भारतीय संघ की अधिवक्ताः श्रीमती चिंता खुशबू हेम्ब्रोम,अधिवक्ता
श्री अभिजीत सिंह, सी. जी . सी .

सी.ए.वी. दिनांक 24.01.2024 को उच्चारित 12.02.2024 को

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, ओ.ए. संख्या 461/2018 में विद्वत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 16.09.2022 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। जिसके तहत और जिसके तहत, निम्नलिखित राहतें की लिए मांगा की गई है:

(क) ओ.ए. संख्या 461/2018 में विद्वत विद्वत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 16.09.2022 को पारित आदेश(अनुलग्नक-15) को रद्द कर दिया जाए।
(ख) प्रतिवादियों को अपने वेतन संरक्षण का लाभ बढ़ाने का निर्देश दिया जाए, जो उन्होंने टीसीएम (II) जो दिनांक 31.03.2005 के पूर्व-कैडर पोस्ट पर रूपये 4000-6000 के पैमाने पर अपने प्रत्यावर्तन से पहले लिया था।

(ग) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे इस याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव न करें और उनके समान स्थित व्यक्तियों के समान प्रत्यावर्तन पर वेतन संरक्षण का समान लाभ दें।

(घ) प्रतिवादियों को बकाया का भुगतान करने और एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्याज के साथ उस आधार पर अपने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और पेंशन लाभों की पुनः गणना करने का निर्देश दिया जाए।

(ङ) कोई अन्य राहत या राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है।

2. न्यायाधिकरण के समक्ष दायर मूल आवेदन के अभिवचन के आधार पर रिट याचिका में किए गए अभिवचन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्यों को संदर्भित करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैः-

3. यह रिट याचिकाकर्ता/आवेदक का मामला है कि वह 1983 में पूर्ववर्ती उत्तर रेलवे (अब उत्तर मध्य रेलवे) के इलाहाबाद डिवीजन में अस्थायी इलेक्ट्रिक खलासी के रूप में रु 196-232 और बाद में खालासी के रूप में 1984 में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर चला गया।

4. रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में कार्यरत रहते हुए, उन्हें रुपये के पैमाने में टीसीएम ग्रेड II के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था, स्केल 260-400 जो आदेश दिनांक 27.03.1985 का था। उन्हें टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड-II (सीनियर) के रूप में और तदर्थ पदोन्नति दी गई। (वरिष्ठ टी.सी.) रूपये 1200-2040 जो दिनांक 01.03.1987 के प्रभाव से के पैमाने में तदर्थ आधार पर।

5. इस बीच, रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को उत्तर मध्य रेलवे के तहत खुली लाइन में नियमित आधार पर Rs. 2650-4000 के पैमाने पर खालासी हेल्पर के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिनांक 30.06.1988 के प्रभाव से। रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को बाद में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कार्यालय आदेश दिनांक 24.09.2002 द्वारा टीसीएम ग्रेड II (तदर्थ) के रूप में पुनः नामित किया गया था।

6. यह आगे का मामला है कि रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को आरई से जिला सिग्नल और

दूरसंचार अभियंता (निर्माण) प्रभाग, रांची के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31.03.2005 को आरई से मुक्त कर दिया गया था। डीएसटीई (विपक्ष) में शामिल होने पर।) रांची, वह अपने मूल ग्रेड, जो खलासी सहायक के पद पर वापस आ गया था। 2650-4000/- रुपये के पैमाने में ।

7. अपने वेतन और पैमाने को कम करने वाले वेतन निर्धारण से व्यथित, रिट याचिकाकर्ता/आवेदक ने ओ.ए. संख्या 221/2017 में दिनांक 22.07.2005 के उस आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया था जिसमें उसे रु. 2650-4000 और अस्थायी रूप से उसका वेतन रूपये 2650/- प्रति माह तय किया गया था।

8. इसके पश्चात् अधिकरण ने दिनांक 05.12.2008 के आदेश के द्वारा ओ. ए. का निपटारा किया जिसमें प्रतिवादियों को उच्च वेतनमान पर उसे नियुक्त करने की संभावना या अन्यथा पर विचार करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि वह कई वर्षों से उच्च स्तर पर सेवा कर रहा था। न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी विभाग ने आवेदक के मामले पर विचार किया और 27.02.2009 को एक बोलने वाला आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि एक कर्मचारी को उसी वेतनमान, ग्रेड और क्षमता पर अवशोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो उसने दूसरी इकाई में तदर्थ आधार पर रखा था।

9. रिट याचिकाकर्ता/आवेदक, उत्तरदाताओं के उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, ओ.ए. संख्या 129/2009 दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और प्रतिवादियों के दिनांक 27.02.2009 के आदेश और दिनांक 22.07.2005 के कार्यालय आदेश को चुनौती देता है।

10. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने ओ.ए. का निपटारा किया। दिनांक 07.12.2009 के आदेश द्वारा दिनांक 27.02.2009 के आदेश को निरस्त और अपास्त करते हुए और प्रतिवादियों को 2007 के ओ.ए. 221 में इस अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश और आवेदक के वेतन संरक्षण के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थी अधिकारियों ने, न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुपालन में, उच्च वेतनमान पर वेतन संरक्षण और सहभागिता के लिए आवेदक के मामले पर विचार किया और दिनांक 20.03.2010 के आदेश को खारिज कर दिया।

11. उत्तरदाताओं के उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता/आवेदक ने ओ.ए.

संख्या 90/201 में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस आधार पर प्रतिवादियों के अधिवक्ता के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था कि आवेदक की शिकायत का निवारण किया गया है।

12. यह अभिवचन के आधार पर ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक पहलू से स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता पूर्ववर्ती उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में शामिल हो गया था (अब उत्तर मध्य रेलवे है) 1983 में अस्थायी इलेक्ट्रिक खलासी के रूप मेंरूपये 196-232 के पैमाने पर।

13. याचिकाकर्ता 1984 में खलासी के रूप में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर गए। रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में कार्यरत रहते हुए, उन्हें दिनांक 27.03.1985 के आदेश द्वारा 260-400 के पैमाने पर टीसीएम ग्रेड II के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। उन्हें टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड-II (सीनियर टी.सी) के रूप में और तदर्थ पदोन्नति दी गई 1200-2040 के स्केल के पैमाने पर तदर्थ आधार पर पर जो दिनांक 01/03/1987 के प्रभाव से । इस बीच, रिट याचिकाकर्ता/आवेदन को उत्तर मध्य रेलवे दिनांक 30/06/1988 के प्रभाव के तहत खुली लाइन में नियमित आधार पर स्केल 2650-4000 के पैमाने पर खालासी हेल्पर के रूप में पदोन्नत किया गया था।

14. बाद में, रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कार्यालय आदेश दिनांक 24.09.2002 द्वारा टीसीएम ग्रेड-II (तदर्थ) के रूप में पुनः नामित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता/आवेदक को आरई से जिला सिग्नल और दूरसंचार अभियंता (निर्माण) प्रभाग, रांची के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31.03.2005 को आरई से मुक्त कर दिया गया था।

15. जिला सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर (निर्माण) डिवीजन, रांची में शामिल होने पर रिट याचिकाकर्ता, उन्हें अपने मूल ग्रेड, जो खालासी हेल्पर के रूपये 2650-4000/- के पैमाने पर वापस कर दिया गया था।

16. रिट याचिकाकर्ता/आवेदक, उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, ओ.ए. संख्या 221/2007 दाखिल करके ट्रिब्यूनल से संपर्क किया है और दिनांक 22.07.2005 के उस आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना करता है जिसमें उसे रूपये 2650-4000 के वेतनमान और अस्थायी रूप

से उसका वेतन रूपये .2650/- प्रति माह निर्धारित करता है। विद्वत अधिकरण ने उक्त ओ.ए का निपटारा कर दिया है। दिनांक 05.12.2008 के आदेश में प्रतिवादियों को उच्च वेतनमान पर उसे नियुक्त करने की संभावना या अन्यथा पर विचार करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि वह कई वर्षों से उच्च पैमाने पर सेवा कर रहा था।

17. प्रत्यर्थी ने विद्वत अधिकरण के निर्देश के अनुपालन में रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और 27.02.2009 को यह अभिनिर्धारित करते हुए एक भाषण आदेश पारित किया कि किसी कर्मचारी को उसी वेतनमान, श्रेणी और क्षमता पर अवशोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो उसने किसी अन्य इकाई में तदर्थ आधार पर रखा था।
18. रिट याचिकाकर्ता/आवेदन, फिर से ओ.ए. संख्या 129/2009 दाखिल करके विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया है और दिनांक 27.02.2009 के आदेश और दिनांक 22.07.2005 के कार्यालय आदेश को चुनौती देता है। विद्वत अधिकरण ने दिनांक 07.12.2009 के आदेश द्वारा 27.02.2009 के आदेश को निरस्त और अपास्त करते हुए प्रतिवादी को 2007 के ओ.ए. संख्या 221/200 में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश और आवेदक/रिट याचिकाकर्ता के वेतन संरक्षण के मुद्दे पर भी विचार करने के निर्देश के साथ उक्त ओ.ए. का निपटारा किया है।

19. प्रत्यर्थी अधिकारियों ने विद्वत अधिकरण के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में उच्च वेतनमान पर वेतन संरक्षण और संलिप्तता के लिए आवेदक के मामले पर विचार किया है, लेकिन दिनांक 20.03.2010 के आदेश को खारिज कर दिया है।

20. रिट याचिकाकर्ता, उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण ओ.ए. संख्या 90/20 दाखिल करके फिर से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, जिसे यह प्रस्तुत करने पर वापस ले लिया गया था की प्रतिवादियों के विद्वान् अधिवक्ता कि दलील पर की रिट याचिकाकर्ता/आवेदक की शिकायत का निवारण किया गया है।

21. आवेदक का तर्क मुख्य रूप से इंदर पाल यादव और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आधारित है। वीआरएस। भारत संघ और अन्य ने (2005) 11 एस.सी.सी. 301 में रिपोर्ट की और उसी के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भादेई राय

बनाम भारत संघ और अन्य ने [(2005) 3 जेसीआर 87 (एससी] के मामले में एक निर्णय पारित किया है, में यह याचिका दायर करके सूचित किया कि कम से कम वेतन संरक्षण उपरोक्त आदेश के आलोक में दिया जाना है।

22. लिखित बयान दायर किया गया था, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया था। विद्वत अधिकरण ने पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्क और उनके द्वारा लिए गए रुख की सराहना करने के बाद मूल आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

23. श्रीमती एम.एम.पाल, विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिकाकर्ता के निम्नलिखित आधारों पर विवादित आदेश पर हमला किया हैः-

(i) विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और इस आधार पर विकृति से ग्रस्त है कि इंदर पाल यादव (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को हालांकि ध्यान में रखा गया है, लेकिन वेतन संरक्षण से संबंधित राहत पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि, विद्वत अधिकरण अनुच्छेद -16 के तहत निष्कर्ष पर आया है कि मामले का तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के साथ पूरी तरह से कवर किया गया है, इन्दर पाल यादव (ऊपर वर्णित) के मामले में, लेकिन फिर भी, वेतन संरक्षण का लाभ जो उपरोक्त मामले में दिया गया था, की अनुमति नहीं दी गई है।

(ii) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की रांची पीठ द्वारा ओ.ए.संख्या 604/1997 और ओ.ए. संख्या 398/9 में पारित निर्देश के आधार पर अन्य सह-कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए समान लाभ के दस्तावेज के माध्यम से भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करके लेकिन विभिन्न मापदंडों को उक्त दावे को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है। हालाँकि, उक्त दस्तावेज़ अभिवचन का हिस्सा था जिसका उत्तरदाताओं द्वारा खंडन नहीं किया गया था, लेकिन विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश में उस प्रभाव का कोई निष्कर्ष नहीं है।

24. उपर्युक्त आधार के आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश त्रुटि से ग्रस्त है और इसलिए, यह टिकाऊ नहीं है।

25. आगे यह निवेदन किया गया है कि समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और इसके अलावा, विद्वत अधिकरण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में पारित निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है तो अधिकरण को कम से कम रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में वेतन संरक्षण देने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए था।

26. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता- रेलवे ने रिट याचिकाकर्ता की तर्क का विरोध करके जोरदार तर्क दिया है और निम्नलिखित आधारों को लेकर आगे बढ़ाः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आदेश के सामने कोई त्रुटि हो।

(ii) यह तथ्यात्मक पहलू का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि विद्वत अधिकरण ने आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता उच्च पद को दी गई तदर्थ पदोन्नति के आधार पर लाभ की मांग कर रहा है और एक बार पदोन्नति को नियमित करने के उद्देश्य से लाभ प्रदान किया जाएगा, जैसा कि पहली और दूसरी प्रार्थना यहां दी गई है, इससे अन्य समान रूप से तैनात सहकर्मियों के साथ भेदभाव होगा।

27. विद्वत अधिकरण ने उपरोक्त तथ्य पर ध्यान देने के बाद उक्त राहत को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

28. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और पेपर बुक के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखा है।

29. यहाँ विवाद यह है कि रिट याचिकाकर्ता स्वीकृत तदर्थ पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति के लाभ का दावा कर रहा है।

30. हालांकि, श्रीमती एम.एम.पाल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क

प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता कम से कम, भादेई राय (उपर्युक्त) और मृणाल कांति चक्रवर्ती बनामभारत संघ, (2008) 3 जेसीआर 51 में रिपोर्ट किया गया के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के मामले में इन्दर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वेतन संरक्षण का हकदार है।

31. यह न्यायालय, उपरोक्त निवेदन पर विचार करने के लिए, उपरोक्त निर्णय के तथ्यात्मक पहलू को संदर्भित करना उचित समझता है।

32. इंदर पाल यादव (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया है, जिसमें संबंधित वादी को तदर्थ आधार पर ग्रेड-'सी' से ग्रेड-'डी' में पदोन्नति दी गई है। इसके बाद, मूल विभाग में पद पर लौटने का आदेश पारित किया गया है। उसमें याचिकाकर्ता ने संरक्षण का भुगतान करने के अपने अधिकार के लिए प्रार्थना की है।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने लंबी अवधि के लिए ग्रेड-'डी' में सेवा प्रदान की है और पात्रता भी प्राप्त की है और इसलिए, निर्देश पारित किया, जो निम्नानुसार हैः -

"6. हालांकि, याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती है, जैसा कि रिट याचिका में अनुरोध किया गया है, अर्थात्, उन्हें निचले पद पर वापस नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें परियोजनाओं में उनकी पदोन्नति के कारण पदोन्नत किया गया माना जाना चाहिए, फिर भी, हम याचिकाकर्ताओं को कुछ विसंगतियों से बचाना चाहते हैं, जो भविष्य में याचिकाकर्ताओं को उनके मूल संवर्ग या अन्य परियोजना में शामिल होने का निर्देश दिए जाने पर उत्पन्न हो सकती हैं। यह दृष्टि खो नहीं जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रचार प्राप्त करने के लिए व्यापार परीक्षण पारित किए हैं किसी विशेष परियोजना में स्तर पर। इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं को उसी परियोजना में वापस तैनात किया जाता है, तो वे अपने समकालीनों के समान वेतन के हकदार होंगे, जब तक कि याचिकाकर्ताओं की इस तरह की पुनः नियुक्ति के समय ऐसे समकालीन कर्मचारियों द्वारा रखे गए पद चयन पर आधारित न हों।

7. इसके अतिरिक्त, जबकि यह रेलवे प्रशासन के लिए खुली लाइन में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए खुला है, उन्हें दक्षता और उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से

उन व्यापार परीक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए जो याचिकाकर्ताओं द्वारा पारित किए गए हो सकते हैं और साथ ही उनकी नियमित नियुक्ति के बाद कई परियोजनाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि।

8. जहां ग्रुप सी में पदोन्नति के उद्देश्य से प्रासंगिक नियमों के तहत एक व्यापार परीक्षण प्रदान किया जाता है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए फिर से व्यापार परीक्षण देना आवश्यक नहीं होगा, यदि उन्होंने पहले से ही कोई तुलनीय परीक्षण लिया था, जब वे परियोजनाओं में ड्यूटी पर थे। रेलवे प्राधिकरणों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कई याचिकाकर्ताओं ने ओपन लाइन में ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कुछ ही सफल रहे। इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि परियोजनाओं में आयोजित समूह डी से समूह सी पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से आयोजित योग्यता व्यापार परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी।

9. तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति का संबंध है, इस न्यायालय की टिप्पणियों से याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रतिवादी अधिकारियों के लिए नियमों के अनुसार आगे की पदोन्नति के मामले में आगे बढ़ने के लिए खुला है। हम, तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इन रिट याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान करते हैं।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भादेई राय (उपर्युक्त) के मामले में, उपरोक्त मामले के तथ्यों में इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में जांच परीक्षण से गुजरना था और वर्ष 1997 में घोषित परिणाम में, याचिकाकर्ता योग्य था।

35. याचिकाकर्ता द्वारा समूह 'सी' पद में रिगर के उच्च पद पर 20 वर्षों की लंबी अवधि बिताई गई है। ऐसी परिस्थितियों में, वह समूह-'सी' पद में अपनी लंबी सेवा के आधार पर समूह-'सी' पद पर नियमित नियुक्ति के लिए वेतन संरक्षण की राहत और अपने मामले पर विचार करने का वैध रूप से हकदार है।

36. भादेई राय (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात पर भरोसा करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को इस निर्देश के साथ आंशिक रूप से संशोधित करके अपील को स्वीकार कर लिया है कि याचिकाकर्ता का वेतन जो वह समूह-सी पद से समूह-डी पद पर प्रत्यावर्तन की तारीख को प्राप्त कर रहा था, संरक्षित किया जाएगा। एक और निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता को समूह-'सी' में रिगर के पद पर लंबे समय तक 20 वर्षों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके काम और प्रदर्शन को उत्तीर्ण करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए दूसरों के साथ उसकी शर्तों में ग्रेड-सी पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। तैयार संदर्भ के लिए, निर्णय के अनुच्छेद -10 और 11
भादेई राय (उपर्युक्त) के मामले में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार हैः -

"10. वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में, उपरोक्त निर्देश पूरी तरह से लागू होते हैं। याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में जाँच परीक्षण से गुजरना पड़ा और 1997 में घोषित परिणाम में याचिकाकर्ता ने अर्हता प्राप्त कर ली थी। याचिकाकर्ता द्वारा समूह 'सी' पद में रिगोर के उच्च पद पर बीस वर्षों की लंबी अवधि बिताई गई है। ऐसी परिस्थितियों में, वह वैध रूप से वेतन संरक्षण की राहत और नियमित रूप से अपने मामले पर विचार करने का हकदार है। ग्रुप 'सी' पद में उनकी लंबी सेवा के आधार पर ग्रुप 'सी' पद पर नियुक्ति के मामले में ।

11. इसलिए, इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए वर्तमान अपील को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेशों को संशोधित करके आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का वेतन जो वह ग्रुप 'सी' पद से ग्रुप 'डी' पद पर अपने प्रत्यावर्तन की तारीख को अंतिम बार प्राप्त कर रहा था, संरक्षित किया जाएगा। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को समूह 'सी' में रिगोर के पद पर लंबे बीस वर्षों तक उसके काम और प्रदर्शन के साथ-साथ स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अन्य लोगों के साथ समूह 'सी' पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

37. मृणाल कांति चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ

ने भी मृणाल कांति चक्रवर्ती (उपर्युक्त) के मामले के इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) और भादेई राय (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया है।

"19. हम पाते हैं कि कानून का उपरोक्त प्रस्ताव वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से लागू होता है और इसके मद्देनजर, इस रिट याचिका को आंशिक रूप से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के आदेशों और इसकी रांची पीठ और विवादित प्रशासनिक आदेशों को इस निर्देश के साथ संशोधित करके अनुमति दी गई है कि याचिकाकर्ताओं ने भुगतान किया था जो उन्होंने अंतिम बार अपने प्रत्यावर्तन से पहले वरिष्ठ प्राक्कलनकर्ता के पूर्व संवर्ग के पद पर रु 6500-10500/- संरक्षित किया जाएगा।

20. इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता मृणाल कांति चक्रवर्ती के वेतन के संरक्षण तक सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

38. इस प्रकार, इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता है यदि संबंधित व्यक्ति को तदर्थ आधार पर भी सेवा में रखा गया है और उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर पद के अंतिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए उसमें निर्देश पारित किया गया था।
39. रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उपरोक्त निर्णय को विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा गया है। हालाँकि, उक्त निर्णय पर ध्यान दिया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 16 से स्पष्ट होगा, लेकिन मूल आवेदन को विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं दिखाकर खारिज कर दिया गया है।

40. यह तर्क इस प्रकार दिया गया है कि कम से कम मूल आवेदन को आंशिक रूप से इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में पारित निर्देश के अनुसार अंतिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान करके ब्याज की रक्षा करके अनुमति दी जानी चाहिए थी, लेकिन विवादित निर्णय में उस प्रभाव का कोई संदर्भ नहीं है, भले ही, विद्वत न्यायाधिकरण इंदर पाल यादव (उपर्युक्त)

के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रयोज्यता के बारे में निर्णायक निष्कर्ष पर आया हो।

41. इस न्यायालय ने, उपर्युक्त तर्क की सराहना करने के लिए, विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुच्छेद -16 को पार किया है और वहां से पाया है कि विद्वत अधिकरण की पूर्ण प्रयोज्यता के बारे में निर्णायक निष्कर्ष पर आ गया है। इंदर पाल यादव के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय (ऊपर वर्णित) तैयार संदर्भ के लिए, विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुच्छेद -16 को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा हैः-

"16. तत्काल ओ.ए. के तथ्य उपरोक्त मामले के समान होने के कारण, डब्ल्यूपी (सी) 548/2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपात तत्काल मामले में सीधे लागू होता है।

42. प्रश्न यह है कि जब विद्वत अधिकरण इन्दर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पूर्ण प्रयोज्यता के बारे में निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंच गया है, तो अधिकरण को इन्दर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मूल आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देकर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने वाला आदेश पारित करना चाहिए था, जिसमें अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए प्रतिवादियों को उक्त अपील के याचिकाकर्ता , अर्थात् इन्दर पाल यादव को वेतन संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, विद्वत अधिकरण भले ही उक्त निर्णय की पूर्ण प्रयोज्यता के बारे में निष्कर्ष पर आ गया है, लेकिन वेतन संरक्षण के लाभ को आक्षेपित आदेश में कोई कारण बताए बिना खारिज कर दिया गया है, बल्कि, विद्वत अधिकरण रिट याचिकाकर्ता के पिछले आचरण में गया है, जिसने पहले के अवसर पर मूल आवेदन को वापस ले लिया है।

43. इसलिए विद्वत अधिकरण ने रिट याचिकाकर्ता के मामले को तथ्य के आधार पर निर्णय देकर मुद्दे की योग्यता में प्रवेश नहीं किया है, भले ही निर्णय को माना गया हो के अनुसार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से लागू अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुच्छेद-16 में इस प्रकार अवलोकन किया गया।

44. इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने त्रुटि/विकृति का आधार

लिया है, क्योंकि दस्तावेज़ इस प्रभाव के लिए है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर, उत्तरदाताओं द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और उसके तर्क को मजबूत करने के लिए, उस प्रभाव का दस्तावेज़ दिनांक 15.02.2003 दायर किया गया था, जैसा कि पेपर बुक में अनुलग्नक-12 के रूप में जोड़ा गया है, लेकिन विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं है।

45. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय विद्यालय सेवा आयोग और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति के रूप में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। अब्दुल हलीम और अन्य, (2019) 18 एस.सी.सी. 39 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें, अनुच्छेद -30 पर यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-

"30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या आक्षेपित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या किसी निर्णय को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से दूषित किया जाता है, यह है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्वयं स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षा या तर्क की आवश्यकता है। यदि तर्क की प्रक्रिया द्वारा कोई त्रुटि स्थापित की जानी है, तो उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, इसे रिकॉर्ड के सामने त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में एआईआर 1960 एससी 137 में रिपोर्ट किया गया है। यदि एक वैधानिक नियम का प्रावधान दो या अधिक निर्माणों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप निर्णय के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या अज्ञानता या उसकी उपेक्षा है, या उन कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिन्हें रिट कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र की रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

46. इसी तरह, टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा, (1955) 1 एस. सी. आर. 250 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसमें, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"निर्णय या निर्धारण में एक त्रुटि स्वयं प्रमाण पत्र के रिट के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि स्पष्ट होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की अवहेलना पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, यह एक पेटेंट त्रुटि है जिसे प्रमाणपत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन केवल गलत निर्णय नहीं है।

47. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना है यदि इस तरह के आदेश के सामने त्रुटि स्पष्ट है।
48. 'विकृति' के आधार पर, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। 'विकृति' शब्द की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुलवेलु और अन्य बनाम के मामले में की गई है। [(2009) 10 एस. सी. सी. 206] में अनुच्छेद 27 में रिपोर्ट किए गए लोक अभियोजक और अन्य द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसे यहां उद्धृत किया गया हैः-

"27. "विकृत" अभिव्यक्ति को विभिन्न शब्दकोशों द्वारा निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया हैः

1. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, 6 वीं संस्करण। "विकृत-ऐसा व्यवहार करने के लिए जानबूझकर दृढ़ संकल्प दिखाना जिसे अधिकांश लोग गलत, अस्वीकार्य या अनुचित समझते हैं।"

2.लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश, इंटरनेशनल एडन। विकृत-जानबूझकर सामान्य और उचित चीज़ों से अलग होना।

3. द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, 1998 एडन। प्रतिकूल-साक्ष्य के भार या विधि के किसी बिंदु पर न्यायाधीश के निर्देश के विरुद्ध विधि (निर्णय की)।

4. द न्यू लेक्सिकन वेबस्टर्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज (डीलक्स इनसाइक्लोपीडिया संस्करण)

विकृत-स्वीकृत या अपेक्षित व्यवहार या राय से उद्देश्यपूर्ण रूप से विचलित होना; दुष्ट या पथभ्रष्ट; जिद्दी; क्रॉस या पेटुलेंट।

5. स्ट्राउड का शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश, चौथा संस्करण। "प्रतिकूल-एक विकृत निर्णय को संभवतः ऐसे निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न केवल साक्ष्य के भार के विरुद्ध है बल्कि पूरी तरह से साक्ष्य के विरुद्ध है।"

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य (1999) 2 एस.सी.सी. 10) में रिपोर्ट किए गए मामले में एक और निर्णय दिया जो अनुच्छेद 9 और 10 के तहत अभिनिर्धारित किया है जो निम्नानुसार हैः -

"9. आम तौर पर उच्च न्यायालय और यह न्यायालय घरेलू जांच में दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यदि "अपराध" का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो यह एक विकृत निष्कर्ष होगा और न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी होगा।

10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो विकृत हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या साक्ष्य के लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कुछ सबूत है जो स्वीकार्य है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो कितना भीयह हो सकता है कि निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

50. 'विकृति' का अर्थ है कि यदि दस्तावेज़ द्वारा समर्थित किसी भी तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं किया गया है या यहां तक कि खंडन भी नहीं किया गया है, यदि इसे न्यायालय या किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लाया जाता है, तो ऐसे प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह से निष्कर्ष दे, अन्यथा, उस प्रभाव के लिए किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, ऐसे न्यायनिर्णायक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को पीड़ित कहा जाएगा।

51. हम, उक्त सिद्धांत के आधार पर और आक्षेपित आदेश को लागू करने में दूसरे आधार पर आते हैं, जिसके तहत और जिसके तहत, विशिष्ट आधार लिया गया था कि समान रूप से रखे गए कर्मचारियों को ओ.ए. संख्या 604/1997 और ओ.ए. संख्या 398/1998 में विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तब प्रश्न यह है कि अधिकरण द्वारा उक्त आदेश पर विचार क्यों नहीं किया जाता है और ऐसा करने के स्थान पर अधिकरण ने याचिकाकर्ता के आचरण पर विचार किया है, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को दी गई राहत पर उक्त दस्तावेज पर विचार न करना आक्षेपित आदेश के सामने विकृति मानी जाती है।

52. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णय के अनुसार न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू करके न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

53. तदनुसार, ओ.ए. संख्या 461/2018 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 16.09.2022 को पारित आदेश इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।

54. नतीजतन, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

55. जिस प्रश्न पर इस न्यायालय को विचार करना है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और आगे, समान रूप से रखे गए सह-कर्मचारियों को अधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर पहले ही वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जा चुका है, तो ऐसा लाभ रिट याचिकाकर्ता को यहां क्यों नहीं दिया जाएगा।

56. न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि क्या मामला नए निर्णय के लिए अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया जाना है, लेकिन यह सूचित किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि अधिकरण के समक्ष मामले को प्रेषित करने से अनावश्यक उत्पीड़न होगा, क्योंकि अब रिट

याचिकाकर्ता पहले ही 31.05.2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है।

57. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अधिकरण के समक्ष मामले को प्रेषित करने के बजाय, जहां तक वेतन संरक्षण से संबंधित है, रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना पर यहां विचार किया जाना आवश्यक है।

58. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब से इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले में उक्त मुद्दे का निर्णय लिया है, जिसे न्यायाधिकरण ने भी इस निष्कर्ष पर पहुँचकर स्वीकार किया है कि इंदर पाल यादव (उपर्युक्त) के मामले का तथ्यात्मक पहलू बिल्कुल वर्तमान के समान है।
59. इसके अलावा, समान रूप से रखे गए कर्मचारियों को पहले ही विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर ओ.ए. संख्या . 604/1997 और ओ.ए. संख्या 398/98 में पारित आदेश के अनुसार इस तरह का लाभ दिया जा चुका है।

60. इसलिए, इस न्यायालय ने कानून को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा का यह कथन कि समान रूप से रखे गए वादी को आदेश के साथ आने के लिए ऐसे वादी पर जोर दिए बिना लाभ दिया जाना है, इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के लिए निर्देश किया जा सकता है। स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य, (2015) 1 एससीसी 347 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें, अनुच्छेद - 22.1 पर, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः -

"22.1. सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को अदालत द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उस लाभ को बढ़ाकर समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करना भेदभाव के बराबर होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत को सेवा मामलों में अधिक जोरदार ढंग से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विकसित सेवा न्यायशास्त्र यह अभिनिर्धारित करता है कि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य नियम यह होगा कि केवल इसलिए कि

अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों ने पहले न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

61. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अन्य वादियों के पक्ष में समान लाभ देने के बारे में तथ्य विवाद में नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही वेतन संरक्षण प्रदान करके उपरोक्त पहलू पर विचार किया है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता को भी ऐसा लाभ दिए जाने की आवश्यकता है।

62. तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता को वेतनमान के आधार पर वेतन संरक्षण का हकदार माना जाता है, जो वह टीसीए (II) के पूर्व कैडर पद पर अपने प्रत्यावर्तन से पहले दिनांक 31.03.2005 के प्रभाव से रूपये 4000-6000 के पैमाने में अंतिम बार प्राप्त कर रहा था।

63. उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्राप्ति/प्रति पेश करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर सभी परिणामी/मौद्रिक लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

64. तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त अवलोकन/निर्देश के साथ किया जाता है।

65. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन(ओं) यदि कोई हो तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(प्रदीप श्रीवास्तव) (प्रदीप श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।